E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 14-05-2024
Accepted: 21-06-2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 2; Issue 3; 2024; Page No. 521-525

कामरूप और बारपेटा जिले में शहरी और ग्रामीण प्रांतीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन

[1]दिलीप कुमार, [2]डॉ. महीप कुमार मिश्रा

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]प्रोफेसर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: दिलीप कुमार

सारांश

भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और 1986 में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई जिसने शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान की। नीति प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध चरित्रवान और क्षमता वाले युवा पुरुषों और महिलाओं को तैयार करना चाहिए। निम्नलिखित लक्ष्य हैं; राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, शिक्षा के अवसर को समान बनाना, शिक्षा के मानक का महत्व, शिक्षा को उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ना, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना आदि। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवीन शिक्षा (ईजीएस और एआईई) एसएसए के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्राथमिक शिक्षा के दायरे में स्कूल से बाहर के बच्चे। योजना में यह पाया गया कि बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए बच्चे के अनुसार योजना बनाई जाती है। ईजीएस वेयर के तहत शैक्षिक सुविधाएं वितरित की जाती हैं - 1 किमी की दूरी के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। जब 6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 25 से कम हो तो वे ईजीएस केंद्र के लिए पात्र हैं। वर्तमान अध्ययन के लिए, साक्षरता के आधार पर प्रत्येक जिले से कुल 100 नमूना स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है (यानी कामरूप जिले से 100 स्कूल और बारपेटा जिले से 100 स्कूल)।

मूल शब्दः चरित्रवान, राष्ट्रीय, शिक्षा, सार्वभौमिक, ग्रामीण, प्राथमिक

1. प्रस्तावना

नवउदारवादी सरकार में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के एक साधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन सवाल यह उठाया जाना चाहिए कि क्या सभी बच्चे, जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति के बावजूद, एसएसए के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भुगतान करने की क्षमता और संसाधनों और सामाजिक स्थिति वाले लोगों को विशेषाधिकार देने पर आधारित है, और इसने समाज के सबसे शक्तिशाली वर्गों को विशाल सरकारी स्कूल प्रणाली से हटा दिया है। परिणामस्वरूप, सरकारी स्कूल प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर अपनी सक्रियता की आवाज खो दी है। राजनीतिक नेताओं, गैर-शैक्षणिक संगठनों, पेशेवरों और मीडिया का सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने में बहुत कम या कोई निहित स्वार्थ नहीं बचा है।

इसहाक और हरिलाल (1997, पृष्ठ 3, जॉर्ज, 2016 में) ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर एक विशेष समिति में कहा कि 'सत्ता निर्वाचित निकायों और उनके सदस्यों के माध्यम से लोगों तक प्रवाहित होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति अंततः यह लोगों का है और यह केवल वैध है कि इसे उन्हें सौंप दिया जाए।' ब्लॉक स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञता विकास, सामुदायिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता या स्वायत्तता (फ्रेंकी और चासिन, 2016) के रूप में हो सकते हैं। इसाक (1997) ने यह भी देखा कि नीति कार्यान्वयन में शामिल कार्यों की प्रकृति को समझने वाले अभिनेताओं की कमी थी, और राज्य स्तर पर अभिनेता प्रत्यायोजित शक्तियों और परियोजनाओं पर स्थानीय स्तर के निकायों के साथ काम करने में असमर्थ थे। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक माता-पिता और समुदाय के प्रतिनिधियों में नेतृत्व को प्रभावित करने वाली पारंपरिक प्रथाओं से विचलित होने की क्षमता की कमी थी। प्रतिनिधित्व के माध्यम से एसटी के नेताओं द्वारा राजनीतिक समावेशन और भारत की लोकतांत्रिक स्थानीय

सरकारों, जैसे कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में उनके सशक्तिकरण पर इसका प्रभाव देखा गया एक और मुद्दा था। प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीतिक समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, और अभिनेता विकेंद्रीकृत शासन में एसटी को शामिल करने और सशक्त बनाने के लिए ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की क्षमता का पता लगाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि नीति कार्यान्वयन की सूक्ष्म राजनीति में सत्ता के मुद्दे हैं। मैंने माइक्रोपॉलिटिक्स को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और समूहों द्वारा आयोजित औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति के रूप में माना है, जहां संघर्षपूर्ण और सहकारी प्रक्रियाएं अभिन्न घटक हैं। मैं अगली बार बिजली के मुद्दे और कार्यान्वयन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करूंगा।

इस शोध के संदर्भ में, मुद्दा नीति कार्यान्वयन में सार्थक भागीदारी के लिए समुदायों को शक्ति के हस्तांतरण के इर्द-गिर्द घूमता है। 'सशक्तीकरण' शब्द के विभिन्न दृष्टिकोणों और अर्थों के बावजूद, यह अनिवार्य रूप से 'शक्ति' की समाजशास्त्रीय अवधारणा से संबंधित है, और किसी समाज/समुदाय में शक्तिहीनता की स्थितियों और शक्ति संबंधों के विषम वितरण को चुनौती देता है (पटनायक, 2013)। समाजशास्त्रीय साहित्य मोटे तौर पर शक्ति की अवधारणा के अर्थ का वर्णन करने के दो तरीकों की पहचान करता है। वेबर (2016) और डाहल (2015) शक्ति को वर्चस्व और जबरदस्ती के साथ जोड़ते हैं, सामाजिक संबंधों में शक्ति की स्थिति बनाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति संसाधनों पर अपने प्रभुत्व के आधार पर दूसरे पर शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण के विपरीत, जो शक्ति को 'किसी पर शक्ति' के रूप में मानता है, दूसरा दृष्टिकोण शक्ति की समझ को 'कुछ करने की शक्ति' के रूप में रेखांकित करता है (डाउडिंग, 2016 और गोहलर, 2000 देखें), जिसमें आवश्यक रूप से सामाजिक संबंध शामिल नहीं हैं। व्यक्तियों के बीच शक्ति. यह किसी संरचना से जुड़े बिना परिणाम उत्पन्न करने के लिए व्यक्तियों या समूहों की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. साहित्य की समीक्षा

निकिता पाहवा एट अल (2021)यह पेपर भारत के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों यानी केरल और उत्तर प्रदेश में से एक को चुनकर प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रदर्शन में अंतरराज्यीय अंतर की जांच करता है। प्रदर्शन को 2006-16 के दौरान पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संदर्भ में मापा जाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि समानता सुनिश्चित करने को छोड़कर, केरल तीन में से दो आयामों में उत्तर प्रदेश से बेहतर प्रदर्शन करता है। केरल के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय ऐतिहासिक कारकों के साथ-साथ पुरुष और महिलाओं दोनों के बीच उच्च साक्षरता स्तर, राजनीतिक सक्रियता, लैंगिक समानता और शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को दिया जाता है।

आलम (2012)प्रारंभिक शिक्षा के प्रति बालिकाओं की प्रतिक्रिया पर एक अध्ययन किया गया: सर्व शिक्षा मिशन, सिलीगुड़ी शैक्षिक जिले का एक अध्ययन। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नामांकन की स्थिति, शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया, स्कूल छोड़ने के कारणों, छात्राओं की स्थिति और शैक्षिक प्रदर्शन की खोज करना था। 75 स्कूलों पर एक नमूना सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के नतीजे से पता चला कि एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद बहुत कम संख्या में स्कूल स्थापित किए गए थे। चयनित 64 प्राथमिक विद्यालयों से 212 शिक्षक हैं। कुल शिक्षकों में से दो-तिहाई महिला शिक्षक थीं। 51.60% लड़कियाँ पंजीकृत थीं और लड़कियों की नामांकन दर लड़कों की तुलना में अधिक थी। अध्ययन से पता चला कि लड़कियों ने महिला शिक्षकों से बेहतर सीखा। दिए गए प्रोत्साहनों के संबंध में, दो छात्रावास पाए गए, अधिकांश स्कूलों (73%) को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलीं और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा थी। कुछ स्कूल (3%) छात्राओं को एस्कॉर्ट देते हुए पाए गए। अध्ययन के नतीजे में यह बात उजागर हुई कि छात्राओं के बीच अच्छी प्रतिक्रिया मिली लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में और स्कूल खोलने की जरूरत है। बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है. कई शिक्षकों में लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षण अधिगम सामग्री की जानकारी का अभाव था, माता-पिता में बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव भी पाया गया। सरकार द्वारा शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गरीबी, घरेलू काम में व्यस्तता, कम उम्र में शादी, सीखने में रुचि की कमी, मजदूरी कमाने वाले के रूप में शामिल होना, घर से स्कूल की दूरी जैसी लड़कियों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। .

अग्निहोत्री (2012)प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता सुधार के संबंध में हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के मूल्यांकन पर एक शोध किया। हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर जैसे चार जिलों के 81 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एसएसए स्कूल नेटवर्क के त्वरित विकास, उल्लेखनीय रूप से उच्च और संतुलित शिक्षक-छात्र अनुपात को पूरा करने, प्रारंभिक स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी के कारण प्रारंभिक शिक्षा को लगभग सभी तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहा। हिमाचल प्रदेश में, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक मुद्दा थी। सभी चार जिलों में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि भी अनुमान से परे बहुत कम थी। इससे पता चलता है कि भौतिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करने से शिक्षा की गुणवत्ता में प्रगति नहीं हुई। अध्ययन ने यह सुझाव देते हुए निष्कर्ष निकाला कि नीति नियोजक को अपनी नीतियों का फिर से आकलन करना चाहिए और शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए एसएसए के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कारकों का पता लगाना चाहिए।

3. कार्यप्रणाली

एक नमूना अवलोकन और विश्लेषण के लिए चुनी गई जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है। यह जनसंख्या की वस्तुओं या व्यक्तियों के एक भाग या उपसमूह से बना एक संग्रह है जिसे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए चुना जाता है। वर्तमान अध्ययन के लिए, साक्षरता के आधार पर प्रत्येक जिले से कुल 100 नमूना स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है (यानी कामरूप जिले से 100 स्कूल और बारपेटा जिले से 100 स्कूल)। प्रत्येक जिले के इन 100 स्कूलों में 50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए हैं। दोनों जिलों से नमूना स्कूलों की कुल संख्या का डेटा प्रधानाध्यापकों, सहायक शिक्षकों और अभिभावकों से एकत्र किया गया है दूसरे चरण में, अन्वेषक ने कामरूप से 100 प्राथमिक विद्यालयों (50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से मिलकर) और बारपेटा जिले से 100 प्राथमिक विद्यालयों (50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त प्राथमिक

विद्यालयों से मिलकर) का चयन किया, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से। असम के दोनों जिलों की. 50 प्रांतीयकृत स्कूलों में से 25 शहरी और 25 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का चयन किया गया और दोनों जिलों के मामले में स्कूलों के चयन में समान प्रक्रिया का पालन किया गया। साथ ही, 50 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से शहरी क्षेत्र के 25 और ग्रामीण क्षेत्र के 25 विद्यालयों का चयन किया गया और दोनों जिलों के विद्यालयों के चयन में एक ही प्रक्रिया देखी गई। तीसरे चरण में, अन्वेषक ने 800 उत्तरदाताओं का चयन किया, जबकि प्रत्येक जिले के 400 उत्तरदाता प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक (जिनके पास स्कूलों में न्यूनतम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव था) और अभिभावक थे जो स्कूल की गतिविधियों से निकटता से जुड़े थे और स्कूल के रिकॉर्ड जानते थे। पिछले 10 वर्षों से. कामरूप जिले में, 400 उत्तरदाताओं में से, चयनित नमूना स्कूलों से प्रधानाध्यापक 100, सहायक शिक्षक 100 और अभिभावक 200 थे। प्रधानाध्यापकों के अनुसार अधिकांश अभिभावक गरीब, मजदूर वर्ग के तथा दैनिक कार्यों में व्यस्त थे तथा जांचकर्ता से बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे। अत: प्रधानाध्यापकों के सुझाव के अनुसार एक नमूना विद्यालय से दो अभिभावकों को लिया गया। बारपेटा जिले में भी, 400 उत्तरदाताओं में से, प्रधानाध्यापक 100 थे, सहायक शिक्षक 100 थे और अभिभावक 200 नमूना स्कूलों से थे, जहां अध्ययन का डिज़ाइन निम्नलिखित तालिका में परिलक्षित होता है।

जानकारी प्रधानाध्यापकों, सहायक शिक्षकों और अभिभावकों से दोनों अवधियों के लिए एकत्र की गई थी - सर्व शिक्षा अभियान (बीएसएसए) के कार्यान्वयन से पहले पांच वर्षों के लिए (1996 - 2000 तक) और सर्व शिक्षा अभियान (एएसएसए) के कार्यान्वयन के बाद पांच वर्षों के लिए (से)। 2006 – 2010). एएसएसए की अवधि के लिए, 2001 से 2005 तक की अवधि को इस अध्ययन में नहीं लिया गया, क्योंकि इस अवधि के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान ने असम के जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विभिन्न केंद्रों और समितियों का गठन ठीक से नहीं किया था। योजना। इसलिए, एसएसए द्वारा दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए इस अध्ययन के लिए एएसएसए के लिए 2006 से 2010 तक की अवधि पर विचार किया गया था। सांख्यिकीय उपचार के लिए, दोनों अवधियों (एसएसए से पहले और एसएसए के बाद) के लिए दो जिलों के बीच प्राथमिक शिक्षा पर एसएसए के प्रभावों का पता लगाने के लिए सरल प्रतिशत (गैरेट, 1966 का उपयोग किया गया) का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन के इतने विशाल क्षेत्र के परिणाम प्राप्त करने के लिए सरल प्रतिशत तकनीक का उपयोग किया गया।

4. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 1: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में कामरूप और बारपेटा जिलों के बीच तुलना

वस्तु	कामरूप								बारपेटा								कामरूप						बारपेटा					
	प्रांत. प्राथमिक स्कूल								पहचान. प्राथमिक स्कूल								प्रांत. प्राथमिक स्कूल						पहचान. प्राथमिक स्कूल					
	मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक		मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक						मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक		मुखिया		सहायक टी.सी.आर		मुखिया	
	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %
वित्त	32	18	20	16	25	17	13	06	11	08	07	04	78	65	70	56	65	54	70	55	74	50	57	46
एससीएल.कार्यालय	30	25	24	24	17	10	17	08	10	06	10	08	77	62	65	60	52	48	28	15	35	20	35	25
सीएल.रूम	29	20	19	16	35	18	12	05	08	07	12	07	72	67	80	65	57	50	55	48	60	55	55	48
लिब सुविधा	10	04	07	06	06	04	08	04	07	05	07	04	15	06	14	08	12	08	12	05	10	10	09	06
टीसी .कक्ष	24	15	09	10	06	09	07	05	08	06	06	04	52	48	55	42	45	40	28	15	33	20	30	16
डी .पानी	28	20	18	15	30	22	15	09	13	12	20	15	75	64	75	60	70	62	65	53	70	55	68	57
टी.शौचालय	37	22	28	17	29	26	18	07	10	05	09	05	69	59	68	51	65	50	35	17	42	18	45	25
पी. शौचालय	39	28	25	25	35	30	20	12	18	08	18	10	73	64	71	62	73	60	61	46	56	44	50	44
पी.एल.ग्राउंड	36	30	32	35	32	21	32	17	22	13	25	15	46	47	42	52	42	52	40	40	37	45	47	40
एस.व्यवस्था	33	19	23	20	30	20	14	14	23	07	25	11	71	68	75	60	80	65	52	47	58	52	58	42

तालिका से पता चलता है कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के लिए कॉमन रूम, पीने का पानी, शिक्षकों के लिए शौचालय, विद्यार्थियों के लिए शौचालय, खेल का मैदान और बैठने की व्यवस्था को दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले कामरूप जिले के शहरी क्षेत्र में क्रमशः 32%, 30%, 29%, 10%, 24%, 28%, 37%, 39%, 36% और 33% थे, जबकि सर्व शिक्षा के बाद अभियान के अनुसार, प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रियाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का परिणाम क्रमशः 78%, 77%, 72%, 15%, 52%, 75%, 69%, 73%, 46% और 71% पाया गया।.

यह भी देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के लिए कॉमन रूम, पीने का पानी, शिक्षकों के लिए शौचालय, विद्यार्थियों के लिए शौचालय, खेल के मैदान के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। और बैठने की व्यवस्था - कामरूप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 18%, 25%, 20%, 04%, 15%, 20%, 22%, 28%, 30% और 19% थी, जबकि बुनियादी ढांचे का परिणाम प्रधानाध्यापकों के जवाब के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बाद क्षेत्र क्रमशः - 65%, 62%, 67%, 06%, 48%, 64%, 59%, 64%, 47% और 68% पाया गया।

इसी तालिका से यह देखा गया है कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के सामान्य कक्ष, पीने के पानी, शिक्षकों के शौचालय, विद्यार्थियों के शौचालय, खेल के मैदान और बैठने की व्यवस्था के क्षेत्रों में दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रिया के अनुसार

बारपेटा जिले के शहरी क्षेत्र में क्रमशः 13%, 17%, 12%, 08%, 07%, 15%, 18%, 20%, 32% और 14% थे। , जबकि सर्व शिक्षा अभियान के बाद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का परिणाम क्रमशः - 70%, 28%, 55%, 12%, 28%, 65%, 35%, 61%, 40% और 52% पाया गया।

बारपेटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मामले में, वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के कॉमन रूम, पीने के पानी, शिक्षकों के शौचालय, विद्यार्थियों के शौचालय, खेल के मैदान और बैठने की व्यवस्था में मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले प्रधानाध्यापकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार क्रमशः 06%, 08%, 05%, 04%, 05%, 09%, 07%, 12%, 17% और 14% की व्यवस्था थी, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के बाद अवसंरचना का परिणाम क्रमशः 55%, 15%, 48%, 05%, 15%, 53%, 17%, 46%, 40% और 47% पाया गया।

तुलनात्मक अध्ययन में यह देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बाद कामरूप जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की पुस्तकालय, शिक्षकों के कॉमन रूम, खेल के मैदान आदि को छोड़कर बुनियादी सुविधाओं में पहले की तुलना में सुधार पाया गया है। बारपेटा जिले के प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रियाओं से।

5. निष्कर्ष

इस संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता प्राप्त करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, यह जीवन में संघर्ष के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण और जीवन कौशल, जीवन जीने की कला के साथ-साथ नए विचारों और दृष्टिकोणों को शामिल करने का पाठ पढ़ा सकती है। जो लोग पारंपरिक मान्यताओं और अंधविश्वासों के साथ रहते हैं, जिनके लिए उनके संपूर्ण मानवीय मूल्यों पर अत्याचार किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है जो कि हल्के विचारों का माध्यम है। जनता का अधिकांश पिछड़ापन और गरीबी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण है जो शिक्षा की कमी का परिणाम है। यही समस्या भारत में सर्वत्र विद्यमान है, जिसके लिए मानव संसाधन का समुचित विकास भारत में संभव नहीं हो सका है। निरक्षरता समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों के लिए एक अभिभावक के रूप में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें मानव अधिकार के रूप में जीवन भर शिक्षा प्रदान करके प्रबुद्ध बनाये। किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रभावी संचालन के लिए शिक्षित एवं प्रबुद्ध समाज की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को एहसास है कि उत्पादन, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक विकास की तेज गति तब तक हासिल नहीं की जा सकती, जब तक कि आम जनता वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से लाभ उठाने में सक्षम न हो, जिसके लिए पूर्व शर्त यह है कि एक आम मनुष्य को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि वह नई खोजों और आविष्कारों का लाभ उठा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम दो शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उचित गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, पूरे समाज को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाया जाना चाहिए जिसके लिए वयस्कों में निरक्षरता को समाप्त करने का कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। विकास के ये दो क्षेत्र - अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता, सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) का सार बनाते हैं। शायद, इसी कारण से, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 26 ने शिक्षा को सभी के लिए मानव अधिकार घोषित किया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत के संविधान में "जनता की शिक्षा" के प्रावधान पेश किए गए, जिन्हें लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को और समय-समय पर शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, अधिनियमों, योजना, नीतियों, योजनाओं आदि को अपनाया।

राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसलिए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार। भारत ने विभिन्न नीतियों पर अपने विचारों को प्रतिबिंबित किया। यह भारत का संविधान है जो अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा का प्रावधान करता है, राज्य संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।. योजनाकारों द्वारा संवैधानिक निर्देश की व्याख्या 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पांच वर्ष की अवधि की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 11-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा के रूप में की गई थी। इसके अनुरूप, यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन (यूईई) के एक कार्यक्रम के रूप में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए आठ साल की शिक्षा की योजना बनाई गई थी।

6. संदर्भ

1. डॉ. प्रशांत मलिक और अन्य "पश्चिमी उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा: बाधाएँ और संभावनाएँ" खंड 11, अंक 1 जनवरी, 2023. आईएसएसएन: 2320-2882
2. दास, सुभाशीष और विश्वास, अमित के., ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और निर्धारक (13 मई, 2019)। एसएसआरएन पर उपलब्ध: https://ssrn.com/abstract=3387393याhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3387393
3. सुधासत्व बारिक प्राथमिक शिक्षा से इनकार: एक बेरोकटोक अभाव, 2013
4. कुलविंदर सिंह और अन्य "प्राथमिक स्कूल के छात्रों की शैक्षणिक क्षमता में लिंग अंतर: माता-पिता की शिक्षा और सामाजिक नुकसान की मध्यम भूमिका" जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन वॉल्यूम। 22, नंबर 1, 2017 आईएसएसएन 0975-0665
5. डॉ. राजाबाबू बथुला "प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि पर एक अध्ययन" खंड 9, अंक 11 नवंबर 2021 | आईएसएसएन: 2320-2882
6. सुभद्रशी नायक "सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत में स्कूली शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण।, 2012.
7. अमित कुमार मंडल और अन्य "सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)" भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर एक प्रभावी कार्यक्रम: एक अध्ययन" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च कल्चर सोसाइटी आईएसएसएन: 2456-6683 वॉल्यूम - 4, अंक - 6, जून – 2020
8. मीरा नाथ सरीन "भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)"2018
9. एमिली एन क्विनन "शिक्षा का अधिकार: भारतीय गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा अधिकारों की बात के उपयोग का एक तुलनात्मक विश्लेषण"2015

10. दिव्या बजाज "मात्रा से पहले गुणवत्ता: भारत में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ और कमियाँ" 2014
11. श्री राहुल लक्ष्मण विखे "प्रारंभिक शिक्षा के विकास में सर्वशिक्षा अभियान की भूमिका का अध्ययन और समीक्षा" आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर-जेबीएम) ई-आईएसएसएन: 2278-487X, पी-आईएसएसएन: 2319-7668। खंड 20, अंक 3. संस्करण। 2018;5:60-64
12. शमीमा अंसारी और अन्य "सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक कार्य और जागरूकता: वाराणसी शहर में मदरसा का एक अध्ययन" शैक्षिक खोज: एक अंतर्राष्ट्रीय। जे. ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंस: वॉल्यूम।. 2018;9(1):79-85. डीओआई: 10.30954/2230-7311.2018.04.11
13. हैरिस, जॉन. भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण: उपलब्धियां और चुनौतियां, यूएनआरआईएसडी वर्किंग पेपर, संख्या 2017-3, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (यूएनआरआईएसडी), जिनेवा, 2017.
14. मृण्मय बानिक. असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बकलियाघाट क्षेत्र के भीतर सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव - एक केस स्टडी, 2022.
15. मेनेजेस, गीता. सर्व शिक्षा अभियान और शैक्षिक विकास।, 2015. 10.13140/आरजी.2.2.12646.55368।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.